



**EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION**  
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) / (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)  
क्षेत्रीय कार्यालय - / REGIONAL OFFICE  
Near Labour Commissioner Office, Railway Road, Jammu 180012



No.EPFO/RO Jammu-Kashmir-Ladakh/Adm/2021

Dt. 23.12.2021

क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू  
(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भारत सरकार)  
के अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रीय कार्यालय,  
जम्मू, श्रीनगर और जिला कार्यालय लद्दाख के लिए  
चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों के पैनल के लिए  
रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

## **EXPRESSION OF INTEREST (EOI)**

For

Empanelment of Chartered Accountant Firms for Regional Office, Jammu, Srinagar & Ladakh

For the audit of Provident Fund Accounts of the  
Exempted P.F Trusts

under the jurisdiction of Regional Office, Jammu  
(Employees Provident Fund Organisation, Govt of India)

1. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भारत (ई.पी.एफ.ओ.) भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तत्वावधान में एक स्वायत्त निकाय है। संगठन का मुख्य उद्देश्य ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाई गई योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों को वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

The Employees' provident Fund Organisation, India (EPFO) is an autonomous body under the aegis of the Ministry of Labour and Employment, Government of India. The main objective of the Organisation is to provide old-age social security to the members as per the provision of EPF & MP Act, 1952 and the Schemes framed there under.

For Further information about EPFO, one may visit the website [www.epfindia.gov.in](http://www.epfindia.gov.in)

2. क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू के अधिकार क्षेत्र के तहत कार्यालयों से संबंधित जैसा और जब आवश्यक हो, विभिन्न कर मामलों और संबद्ध गतिविधियों को संभालने, खातों की पुस्तकों को अंतिम रूप देने,

विशेष ऑडिट, छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों/ प्रतिष्ठान के ऑडिट के लिए, खातों की पुस्तकों में प्रदर्शित होने वाली विशिष्ट प्रविष्टियों का समाधान या कर मामले या खातों या बहीखाता आदि से संबंधित कोई अन्य मामला इत्यादिके लिए क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू ने तीन साल की प्रारंभिक अवधि के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों (05 सीए फर्मों) का एक पैनल बनाने का प्रस्ताव किया है।

Regional Office, Jammu, EPFO proposes to form a panel of Chartered Accountant Firms (05 CA firms) for initial period of three years for handling various tax matters and allied activities, finalization of books of accounts, special audit, audit of exempted PF Trusts/Establishments, reconciliation of specific entries appearing in books of accounts for any other matter relating to tax matter or accounts or book keeping etc., pertaining to Offices under jurisdiction of Regional Office, Jammu as and when required.

### 3. पात्रता/ Eligibility:

पात्रता मापदंड/ Eligibility Criteria:

1. आवेदक फर्म कम से कम 10 वर्षों से अस्तित्व में होनी चाहिए।  
Applicant firms should be in existence for at least 10 years.
2. आवेदक फर्मों के पास कम से कम 1 पूर्णकालिक एफसीए के साथ कम से कम 5 पूर्णकालिक भागीदार होने चाहिए।  
Applicant firms should have at least 5 full time partners with at least 1 full time FCA.
3. आवेदन करने वाली फर्म सी एंड एजी/ आयकर के पैनल में होनी चाहिए।  
The application firm should be in the panel of C&AG/ Income Tax.
4. भागीदारों को आईसीएआई का सदस्य होना चाहिए और उनके पास आईसीएआई द्वारा जारी वैध विभाग पूर्णकालिक अभ्यास करने का प्रमाणपत्र होना चाहिए।  
The partners must be member of ICAI and should have valid full time certificate of practice issued by ICAI.
5. आवेदक फर्म के पास सरकारी संगठनों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लेखा परीक्षा/कर प्रबंधन का अनुभव होना चाहिए।  
Applicant firm must have experience of auditing accounts/handling tax matters with Govt. Organisations/ PSEs.
6. पिछले तीन वर्षों में फर्म का औसत वार्षिक कारोबार कम से कम 50 लाख रुपये होना चाहिए।  
Average Annual Turnover of the firm of the last three years should be at least Rs.50 lakhs.
7. आवेदक फर्म या उसके भागीदारों को पिछले पांच वर्षों के दौरान चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (यथा संशोधित) के तहत किसी भी पेशेवर कदाचार का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।

या आईसीएआई या किसी अन्य वैधानिक निकाय द्वारा किसी भी कर कानून के तहत दंडित नहीं किया होना चाहिए।

Applicant firm or its partners should not have been held guilty of any professional misconduct under Chartered Accountants Act, 1949 (as amended) during past five years or penalised under any of the tax laws by ICAI or any other statutory body.

8. आवेदक फर्म या उसके भागीदारों को किसी भी कर कानून के उल्लंघन के लिए किसी भी कर प्राधिकरण द्वारा किसी जांच या पुछताछ का सामना नहीं किया होना चाहिए।

Applicant firm or its partners should not be facing any investigation or enquiry by any tax authority for violation of any of the tax laws.

#### 4. चयनप्रक्रिया/Selection Procedure:

अ) योग्य फर्मों को तय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त समिति द्वारा अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदनों की जांच की जाएगी।

a) All the application received up to the last date shall be scrutinized by the committee appointed by the competent authority to decide the eligible firms.

ब) उन फर्मों का जो पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

b) Those firms, who do not meet the eligibility criteria, shall not be evaluated.

एक बार जब एक फर्म को योग्य घोषित कर दिया जाएगा तो शीर्ष 05 फर्मों को विभिन्न मानदंडों पर प्राप्त अंकों के आधार पर पैनल में शामिल करने के लिए चुना जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन नीचे दिए गए मानदंडों पर आधारित होगा:

Once a firm is declared as eligible, then top 05 firms will be selected for empanelling on basis of points scored on different criteria. Technical evaluation would be based on the criteria given below:

अंक प्रणाली:

पात्रता/Eligibility	अंक/ Point
फर्म का अनुभव/ Experience of firm.	10 वर्ष से अधिक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए 0.5 अंकअधिकतम 15 अंक/ 0.5 point for every calendar year from 10 years onwards – Maximum 15 points.
पूर्णकालिक एफसीए भागीदार/ Full Time FCA partner.	पहले भागीदार के लिए 5 अंक और दूसरे भागीदार से आगे प्रत्येक के लिए 2.5 अंक/ 5 points for the first partner and 2.5

	points from 2 <sup>nd</sup> partner onwards.
पूर्णकालिक एसीए भागीदार/Full Time ACA partner.	पहले 5 भागीदारों के लिए 3 अंक प्रत्येक के लिए और छठे (6) से आगे प्रत्येक के लिए 1.5 अंक/ 3 point each for first 5 partners and 1.5 point each for 6 <sup>th</sup> onwards.
पूर्णकालिक सीए कर्मचारी/Full Time CA employees.	प्रत्येक सीए के लिए 1 अंक - अधिकतम 20 अंक/ 1 point for every CA – Maximum 20 points.
कारोबार/Turnover.	50 लाख से ऊपर प्रत्येक लाख के लिए 1 अंक/1 point for each lakh above 50 lakh.

ग) ईपीएफओ जरूरत पड़ने पर पैनेल में नई फर्मों को जोड़ सकता है।

c) EPFO, in case of necessity can add new firms in the panel.

#### 5. कार्य की प्रकृति/Nature of work:

कर्मचारी भविष्य निधि आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि है इसलिए इसकी आय गैर कर योग्य है। हालांकि कुछ परिस्थितियों में ईपीएफओ पर आयकर अधिनियम और अन्य कर कानूनों के विभिन्न प्रावधान लागू हो जाते हैं। इसके अलावा, खातों की किताबों को अंतिम रूप देने, विशेष ऑडिट, छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्ट / प्रतिष्ठानों की ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, खातों की किताबों में दिखाई देने वाली विशिष्ट प्रविष्टियों के मिलान या कर से संबंधित किसी अन्य मामले या वहीखाता आदि के लिए भी व्यावसायिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। नामित फर्म को संदर्भ की शर्तों के अनुसार सौंपे गए मामले को संभालने की आवश्यकता होगी।

Employees Provident Fund is a recognized provident fund under the provision of Income Tax Act 1961 therefore its income is non-taxable. However, under certain circumfernces various provisions of Income Tax Act and other tax laws become applicable to EPFO. Apart from this, Professional services are required also for finalization of books of accounts, special audit, audit of the Exempted PF Trust/Establishments, system audit, performance audit, reconciliation of specific entries appearing in books of accounts or any other matter relating to tax matter or accounts or book keeping etc. The nominated Firm would be required to handle the case assigned as per the terms of reference.

#### 6. कार्य का आवंटन/Allotment of work:

किसी भी कार्य को आवंटित करने के लिए पैनल में शामिल फर्मों से एक सीमित निविदा आमंत्रित की जाएगी और केंद्र सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों का पालन करते हुए कार्य विशेष फर्म को आवंटित किया जाएगा।

To allot any work, a limited tender will be invited from the empanelled firms and following the General Financial Rules of the Central Government, the work will be allotted to particular firm.

#### 7. आवेदन पत्र/Application Form:

इच्छुक पक्ष नीचे दिए गए प्रारूप में आश्वासन के साथ "अनुलग्नकए" के रूप में संलग्न आवेदन प्रारूपमें आवेदन कर सकते हैं।

Interested parties may apply in the application format enclosed as "Annexure A" along with the undertaking in the format as below.

मैं/....., मैनेजिंग पार्टनर्स मैसर्स/ the managing partner's M/S

..... चार्टर्ड एकाउंटेंट एतद्वारा सत्यापित, घोषित और वचन

देता हूँ/Chartered Accountants do hereby verify, declare and undertake.

अ) कि ऊपर दिए गए विवरण पूर्ण और सही है और यदि आवेदन पत्र में दिए गए किसी भी विवरण या इस प्रकार दी गई जानकारी को बाद में सही नहीं या गलत पाया जाता है या महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया है, तो फर्म को पैनल में शामिल/ कार्य का आवंटन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

a) That the particular given above are complete and correct and the if any of the statements made or the information so furnished in the application form is later found not correct or false or there has been suppression of material information, the Firm would stand disqualified from empanelment/allotment of work and might be liable for disciplinary action under the Chartered Accountants Act 1949 and the regulations framed there under.

आ) आवेदक फर्म या उसके भागीदारों को पिछले पांच वर्षों के दौरान चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (यथासंशोधित) के तहत किसी भी पेशेवर कदाचार का दोषी नहीं ठहराया गया या आईसीएआई या किसी अन्य वैधानिक निकाय द्वारा किसी भी कानून के तहत दंडित नहीं किया गया है।



- b) Applicant firm or its partners have not been held guilty of any professional misconduct under Chartered Accountants Act, 1949 (as amended) during past five years or penalized under any of the tax laws by ICAI or any other statutory body.
- इ) किसी भी कर कानून के उल्लंघन के लिए किसी भी कर प्राधिकरण द्वारा आवेदक फर्म या उसके भागीदारों को किसी जांच या पूछताछ का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
- c) Applicant firm or its partners are not facing any investigation or enquiry by any tax authority for violation of any of the tax laws.
- ई) कि मैं और अन्य भागीदार चार्टर्ड एकाउंटेंट के पूर्णकालिक अभ्यास में हूँ।
- d) That I and other partners are in full time practice of Chartered accountants.

फर्म के प्रबंध भागीदार का नाम और हस्ताक्षर मुहर के साथ/ Name & Signature of the Managing Partner of the Firm and Seal

8. ईओआई को सीलबंद लिफाफे में जिस पर "गोपनीय- चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के पैनल में शामिल करने के लिए ईओआई" लिखा होना चाहिए।  
EOI should be superscripted as "Confidential -EOI for Empanelment of Chartered Accountant Firms".

सीलबंद लिफाफे में जमा करना होगा और निम्न लिखित को संबोधित करना होगा:

**To be submitted in a sealed envelope and addressed to:**

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त- I/ The Regional PF Commissioner-I,  
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/ Employees' Provident Fund Organisation,  
क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू / Regional Office, Jammu,  
Rail head complex, Railway Road  
जम्मू/ Jammu – 180012

9. ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि 31.01.2022, सायं 4.00 बजे तक है। ईओआई 10.02.2022 को खोला जाएगा और चयनित फर्मों को इसके बाद पैनलबद्ध किए जाने के लिए सूचित किया जाएगा।

Last date for submission of EOI is 31.01.2022 at 4.00 PM. The EOI will be opened on 10.02.2022 and the Firms selected will be intimated after being empanelled.

  
(अजीत कुमार मिश्र)/ (AJIT KUMAR MISHRA),

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त- II/

REGIONAL PF COMMISSIONER - II,

क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू।

Regional Office, Jammu

अनुलग्नक "ए"/Annexure-A

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए  
चार्टर्ड अकाउंट्स फर्मों के पैनल के लिए आवेदन-पत्र/  
Application for empanelment of Chartered Accounts Firms for  
Employees' Provident Fund Organisation

क्र.सं./S No	विवरण	अभ्युक्ति
1.	चार्टर्ड अकाउंट्स फर्म का नाम/ Name of the Chartered Accounts Firm	
2.	फर्म की पंजीकरण संख्या (आईसीए)/ RegistrationNo.(ICA) of the Firm	
3.	फर्म के गठन की तिथि और आईसीएआई द्वारा जारी फर्म का गठन प्रमाण पत्र/ Date of Constitution of the Firm and Constitution Certificate of the Firm issued by the ICAI	प्रति संलग्न की जाए/ Copy to be enclosed
4.	सी एंड एजी के पैनल में शामिल होने का प्रमाण/ Proof of empanelment of C & AG	
5.	भागीदारों का नाम (FCA या ACA) उनकी स्थिति केसाथ/ Name of the Partners with Status (FCAorACA)	
6.	भागीदारों की सदस्यता संख्या और अभ्यास का प्रमाणपत्र/ Membership No. of the Partners &Certificate of Practice	प्रति संलग्न की जाए/ Copy to be enclosed
7.	प्रधान कार्यालय और शाखा का पूरा पता टेलीफोन /मोबाइल/फैक्स, ईमेल पते के साथ/ Complete Full Address of the Head Office and the Branch withTelephone/Mobile/Fax with Email Address	
8.	फर्म का आयकर पैन/ Income Tax pan of the Firm	प्रति संलग्न की जाए/ Copy to be enclosed



9.	फर्म के साथ पूर्णकालिक प्रोफेशनलों की संख्या/ No of full time professionals with the Firm		प्रतिसंलग्न की जाए/ Copy to be enclosed
	अ/a	पूर्णकालिक एफसीए भागीदार/ Full time FCA Partners	
	ब/b	पूर्णकालिक एसीए भागीदार/ Full time ACA partners	
	स/c	पूर्णकालिक सीए भागीदार। Full time CA partners	
10.	क्या फर्म/साझेदार के विरुद्ध कोई न्यायालय/ मध्यस्थता या कोई अन्य कानूनी मामला/कार्यवाही लंबित है / Whether there are any Court/Arbitration or any other Legal Case/Proceedings pending against the Firm/Partner		
11.	पिछले 3 वर्षों के लिए फर्म का औसत वार्षिक कारोबार/ Average Annual turnover of the Firm for last 3 years		
12.	वर्ष 2020-2021 के लिए आईसीएआई से सदस्यता शुल्क के भुगतान का और अभ्यास करने का प्रमाण पत्र/ Proof of Payment of Membership fee and certificate of Practice from ICAI for the year 2020-2021		प्रतिसंलग्न की जाए/ Copy to be enclosed
13.	निम्न लिखित क्षेत्रों में कर/लेखा परीक्षा कार्य अनुभव की सूचना दें/ Indicate the Tax/Audit work experience in the following sectors:		
	अ/a	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ PSU	
	ब/b	सरकारी (केंद्रीय/राज्य) Government(Central/State)	
	स/c	निजी/ Private	